

# अवध विहार योजना, सेक्टर-5,

## (शारदा एन्क्लेव) लखनऊ

में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत

दुर्बल तथा अल्प आय वर्ग हेतु

बहुमंजिले (स्टिक्ट+12 मंजिले) फ्लैट्स का

## पंजीकरण प्रारम्भ

पंजीकरण अवधि

09.01.2017 से  
31.03.2017 तक

अवध विहार योजना सेक्टर-5, (शारदा एन्क्लेव), लखनऊ में बहुमंजिले (स्टिक्ट+12 मंजिले) फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट्स का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	सुपर एरिया क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रूपये लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रूपये लाख में)	आवंटन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान नौ त्रैमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु. लाख में)
1.	1 BHK Type-A	288	29.85	27.32	10.45	0.55	1.35	0.95
2.	1 BHK Type-B	192	39.75	33.96	13.90	0.70	1.50	1.30
3.	2 BHK	624	58.54	47.08	20.45	1.00	2.35	1.90

नोट:-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल के भवनों का मूल्य उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मूल्य से क्रमशः 3, 2 तथा 1 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

### विशेष आकर्षण

- समस्त सुविधाओं युक्त परिसर, जिसमें लिफ्ट का प्राविधान है।
- प्रत्येक फ्लैट को 200 वाट का पावर बैकअप।
- भूकम्परोधी निर्माण।
- परिसर में कम्युनिटी सेन्टर का प्राविधान।
- 24 घंटे सिक्योरिटी, सीसीटीवी (आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा)।
- पूर्ण विकसित क्षेत्र में स्थित।

### पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक

- यूको बैंक** : एल०डी०ए०, विपिन खण्ड (नवीन भवन) गोमती नगर, लखनऊ। फोन: 9450094871, 0522-4075744
- भारतीय स्टेट बैंक**: उत्तरप्रदेशिया, सेक्टर 9 बी, वृन्दावन कालोनी, निकट एन०के०एम० पब्लिक स्कूल, लखनऊ। मो०: 9935603241
- बैंक ऑफ बड़ौदा**: हर्षिता काम्पलेक्स, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फोन: 0522-4102735, 9235444273
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**: हजरतगंज, लखनऊ। फोन: 0522-2230852

- नोट** : प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 73, एम०जी० रोड, हजरतगंज, लखनऊ** में आवंटन द्वारा सीधे आवेदन किया जा सकता है। पात्रता के अनुसार बैंक द्वारा नियमानुसार सब्सिडी दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ब्याज में छूट हेतु राष्ट्रीयकृत / लीड बैंक से सीधे सम्पर्क करें।

### प्रमुख स्थलों से निकटतम दूरी



पंजीकरण पुस्तिकाएँ प्रचार अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग से एवं निर्धारित बैंकों से रु. 300/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन फार्म भरकर पंजीकरण धनराशि सहित सम्बन्धित बैंकों में जमा की जा सकती है। डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने पर रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा। पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

आवास आर्युत